



राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम 3  
(सागाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय के आधीन सरकार का उपक्रम)  
NATIONAL SAFAI KARAMCHARIS FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION  
(A Govt. of India Undertaking, Under the Ministry of Social Justice & Empowerment)



An ISO 9001 : 2000 Certified Company



स्वी. पोस्ट

रासकविनि/परि./आर.टी.आई./2009/25

दिनांक : 12.06.2009

सेवा में,  
श्री सलीम बेग,  
उपाध्यक्ष,  
महाराष्ट्र मुस्लीम मेहतर (भंगी) कामगार संघटन,  
रहमान विल्डींग, मस्तानपुरा,  
नांदेड, महाराष्ट्र

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अर्तगत जानकारी प्रादान करने बाबत

महोदय,

कृप्या अपने पत्र दिनांक 26.05.2009 का संदर्भ लेने की कृपा करें जिसके तहत आपने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अर्तगत सूचना मॉगी है।

आपके द्वारा मॉगी गई सूचना इस प्रकार से है: -

क्रं.	बिन्दु सं.	बिन्दु	जानकारी
1	1	एस.आर.एम.एस. योजना रासकविनि द्वारा महाराष्ट्र राज्य में महात्मा फुले पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई के द्वारा चलाई जा रही है। लेकिन वर्ष 2007 से पहले अस्वच्छ सफाई कामगारों की प्रशिक्षण योजना स्वच्छकार जाति के निजि संगठनों की ओर से चलाई जा रही थी। और महाराष्ट्र में स्वच्छकार जाति के निजि संगठनों ने सफाई कामगारों की प्रशिक्षण योजना अच्छी तरह से चलाई जा रही है और उसका लक्ष्य भी पूरा किया है।	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एस.आर.एम.एस. योजना का क्रियान्वयन महात्मा फुले पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अर्तगत लक्षित समूह को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।  भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों एवं स्वीकृत प्रशिक्षण फ्रेमवर्क के तहत प्रशिक्षण केन्द्र/राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थाओं, सरकार से सहायता प्राप्त संगठनों एवं स्वयं सेवी संगठनों (एन.जी.ओ.) के माध्यम से प्रदान किया जाना है। जोकि एस.आर.एम.एस. योजना की मार्गदर्शिका

वर्ष 2007, 2008 एवं 2009 में एस. आर.एम.एस. प्रशिक्षण योजना MCED, MITCON की ओर से ही चलाई जा रही है। क्या इससे एस. आर.एम.एस. योजना का लक्ष्य पूरा हो रहा है? इसकी जानकारी दें। और आपके कार्यालय से स्वच्छकार जाति के निजि संगठनों के माध्यम से एस.आर.एम.एस. प्रशिक्षण चलाने के आदेश दिए हैं या नहीं इसकी विस्तृत जानकारी दें।

(Guidelines) में स्पष्ट वर्णित है। इस संबंध में रासकविनि द्वारा पत्र क्रमांक 1432 दिनांक 22.01.2009 के द्वारा पुनः महात्मा फुले पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई को सूचित किया जा चुका है जिसकी प्रति संलग्न है।

महाराष्ट्र राज्य में एस.आर.एम.एस. योजना के तहत महात्मा फुले पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई के द्वारा अभी तक प्रशिक्षण मिटकॉन (MITCON), एमसेड (MCED), स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट (SISI) एवं आई. टी. आई. (ITI) आदि संस्थाओं के द्वारा ही प्रदान किया गया है।

महात्मा फुले पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई के द्वारा एस.आर.एम.एस. योजना का समयबद्ध अवधि में पूरा किया जाना है।

धन्यवाद।

भवदीय,

*Apurva Yadav*  
(बी. एल. यादव)  
उप प्रबन्धक (परि)

संलग्नक: यथाउपरोक्त



# राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवम् विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

बी-2, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव भाग-II, (सावित्री क्रॉसिंग) नई दिल्ली-48

## NATIONAL SAFAI KARAMCHARIS FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

B-2, 1st Floor, Greater Kailash Enclave Part-II, (Savitri Crossing) New Delhi - 110 048

Phone : 29221331, 29216330, Fax : 29222708

E-mail : nskfdc@indiatimes.com Website : http://nskfdc.nic.in

SPEED POST

Date: 22.01.2009

NSKFDC/PROJ/MAHA/18/2009/1432

The Managing Director,  
Mahatma Phule BC Dev. Corp. Ltd.,  
Gulmohar Cross Road No. 9,  
J.V.P.D. Scheme, Juhu,  
Mumbai - 400 049 (Maharashtra)

**Subject: Request for giving permission to sponsor the trainees to local Reputed NGOs and other training institutions approved by Vocational Technical Board of Maharashtra for implementing Training under SRMS training programmes - Reg.**

Sir,

Kindly refer to your letter no. MD/NSKFDC/Proj-III/12110/2009 dated 05.01.2009 informing that your Corporation have sponsored the training Programme under SRMS to MITCON, MCED, ITI, SISI (which were sanctioned by NSKFDC on the basis of recommendations received from your corporation). It is further informed that on review of the progress made under SRMS, your Corporation has noticed that the trainees have not shown much interest to take training from the approved Institutions as the branches of the said Institutions are very far away from their place of residence and this has resulted that the targets have not been achieved and funds are lying unutilized with your Corporation.

Further, it is also informed that the Board of Directors of your Corporation in its 137<sup>th</sup> meeting held on 10.09.2008 have given careful thought to this issue and decided to send 50% student to Government Institution and 50 % to private Institution (Recognized by Director of Technical Education/ Vocation Technical Board, State of Maharashtra) and requested this Corporation to consider the said proposal

In this connection, it is informed that as per the training framework approved by the Ministry of Social Justice & Empowerment, the training under SRMS may be imparted to the desires candidates through National Training Institutions such as ATDC, NSIC, SISI, ECIL-ECIT, CIDC, Technical Consultancy Organization of apex Institutions, C-DAC, GTDC, KVIC, CETE, NIESBUD, CPCRI, State based training institutions like District Industries Centers (DICs), Industries Training Institution of Driving Training & Research, Govt. Polytechnics, State Tourism Corporation, selected ITIs, Special Training Institution in local textiles, handicraft, technical trades & state level NGOs.

In view of the above, it is requested to kindly arrange to send the suitable proposals to NSKFDC for imparting training under SRMS as per the approved training framework so that the funds disbursed to your Corporation by NSKFDC could be utilized and the complete rehabilitation of remaining number of the identified eligible beneficiaries could be ensured by March 2009, as per the directions issued by the Ministry from time to time.

Thanking you,

Yours faithfully,



**(V.K.Parwanda)**  
**Senior Manager-cum-Secretary**